

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ**

**पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या : 29 / 2025

दायर दिनांक : 26 / 05 / 2025

निर्णय दिनांक : 13 / 10 / 2025

**उनवान**

- 1 जुनैद हुसैन पुत्र मुबारिक मंसूरी निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

- 1 मोहनलाल पिता लेहरूलाल धोबी निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
- 2 लालुराम पिता रामचंद्र माली निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
- 3 मांगीबाई पत्नी माधुलाल जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
- 4 गिरधारी पुत्र कालुराम जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील उभयपक्ष उपस्थित, अप्रार्थीगण को जवाब के पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद जवाब बंद किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम जाशमा प0 ह0 जाशमा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के खाता संख्या 1614 के हाल आ.न.2490 रकबा 0.36 है0 आ0न0 2495 रकबा 0.31 है0 आ0 न0 2496 रकबा 0.20 है0 तथा खाता संख्या 1588 के आराजी स0 2494 रकबा 0.19 है0 तथा खाता स0 1589 के आ0स0 2493 रकबा 0.19 है0 भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(महेश गगोरिया)  
**सहायक कलेक्टर एवं**  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर  
भूपालसागर

